न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 109/2016

1 श्रीमती भंवर कंवर पत्नी किशनसिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी गुढ़ा हाल निवासी लाडनू जिला नागौर।
2 श्रीमती प्रकाश कंवर पत्नी दयाल सिंह पुत्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी गुढ़ा हाल निवासी कांगसीया तहसील जायल नागौर।

अपीलांट

बनाम

1 मगन कंवर पत्नी उम्मेद सिंह।
2 बलबीर सिंह पुत्र उम्मेद सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण गुढ़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4 उप पंजियक उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
5 रामकंवर उर्फ टीनू कंवर पत्नी करणी सिंह पुत्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी गुढ़ा हाल निवासी कागंसीया तहसील जायल जिला नागौर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांकित 05.04.16
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू
बमुकदमा उनवानी श्रीमती भंवर कंवर वगैरह बनाम
श्रीमती मगन कंवर वगैरह दावा बाबत घोषणार्थ विभाजन
व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 279/2012

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 21.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 279/2012 में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने ग्राम टोडी की भूमि खसरा नम्बर 249,1686/249 के सन्दर्भ में घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि उम्मेद सिंह की खातेदारी की होना निर्विवाद है वादी अपीलांट्स उम्मेद सिंह की पुत्रियां है। पैतृक आधार पर वादीगण अपीलांट्स का पिता की भूमि में बराबर हक हिस्सा है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने उपस्थित होकर चाराजोही नही की है। विचारण न्यायालय ने केवल मात्र इस आधार पर वाद खारिज कर दिया कि उम्मेद सिंह का विरासत का नामान्तकरण 16 वर्ष पूर्व दर्ज हो चुका है। इस नामान्तकरण को अपीलांट ने आज दिनांक तक चुनौती नही दी है। ऐसी स्थिति में वाद वादी साबित नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही है। अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित भूमि उम्मेद सिंह की खातेदारी की थी एवं वादीगण अपीलांट उम्मेद सिंह की पुत्रियां है किन्तु उम्मेद सिंह की मृत्यु दावा दायरी के 16 वर्ष पूर्व हो चुकी थी एवं विरासत का नामान्तकरण भी 16 वर्ष पूर्व दर्ज हो चुका था। वादी अपीलांट ने इस विरासत के नामान्तकरण को आज दिनांक तक चुनौती नही दी है। विवादित भूमि पर अपीलांट काबिज काश्त हो। ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर